CH. SUGHAR SINGH EDUCATIONAL ACADEMY

(An Autonomous College)

"B" Grade NAAC Accredited College

Jaswantnagar, (Etawah) U.P. 206245

(Examination)

आवश्यक निर्देश -

1. उपरोक्त विवरण महाविद्यालय में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर है इनमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो महाविद्यालय में परीक्षा से पूर्व सूचित करें।
2. प्रथम दिवस परीक्षा होने के आधा घण्टा पूर्व और फिर प्रत्येक दिन पन्द्रह मिनट पूर्व परीक्षार्थियों की परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति दी जायेगी। प्रतिदिन एक निश्चित समय पश्चात् परीक्षा प्रारम्भ होने के आधे घण्टे बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं मिलेगा।
3. प्रत्येक परीक्षार्थी का परीक्षा कक्ष में एक निश्चित स्थान होगा। परीक्षार्थी को अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठना होगा, अन्यत्र नहीं।
4. परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी के बैठने का मानचित्र महाविद्यालय में रखा जाता है। यदि किसी परीक्षार्थी के उत्तरों से प्रकट होगा कि उसने किसी दूसरे परीक्षार्थी से नकल की हैं, तो दोनों परीक्षार्थियों को दण्डित किया जायेगा।
5. परीक्षार्थियों को प्रत्येक दिवस पर जाँच फार्म में एक बार अपने हस्ताक्षर करने होंगे।
6. परीक्षा हाल में मोबाइल फोन,कैलकुलेटर लाना वर्जित है।
7. परीक्षा समाप्ति के पूर्व उत्तर पुस्तिका परिप्रेक्षक को सौंपे बिना परीक्षार्थी को अपनी सीट को छोड़ने अथवा परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की आज्ञा नही है।
8. परीक्षार्थियों को सचेत किया जाता है कि वह किसी भी दशा में कोई संदिग्ध सामग्री परीक्षा कक्ष में न लावें और न अपने पास अपनी डेस्क में ही रखें अन्यथा उन्हें नियमानुसार कड़ा दण्ड दिया जायेगा
9. परीक्षार्थियों को सचेत किया जाता है कि वह परीक्षक के पास सिफारिश के लिए न जायें अन्यथा कड़ा दण्ड दिया जायेगा, परीक्षक को आदेश है कि वे ऐसे परीक्षार्थियों की सूचना तुरन्त परीक्षा नियंत्रक को आवश्यक कार्यवाही हेतु दें।
10. महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित परीक्षा कार्यक्रम से ही अपनी परीक्षा तिथियों को सुनिश्चित करें अन्यथा परीक्षा छूटने पर महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. बिना प्रवेशपत्र के किसी परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा।
12. उत्तर पुस्तिका के अन्दर, बाहर अथवा किसी स्थान पर परीक्षार्थी अपना नाम, अनुक्रमांक अथवा कोई विशिष्ट चिन्ह न बनायें। ऐसी कार्यवाही की गणना अनुचित साधन प्रयोग के अन्तगर्त की जायेगी तथा ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
13. परिप्रेक्षक, सहायक केन्द्राध्यक्ष, केन्द्राध्यक्ष तथा महाविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को परीक्षार्थी की तलाशी लेने का अधिकार है इस क्रिया में बाधा उत्पन्न करने पर परीक्षार्थी को दण्डित किया जायेगा।
14. परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के प्रत्येक निर्देश का पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है।
15. प्रश्नपत्र वितरित हो जाने पर परीक्षा का बहिष्कार करना अथवा अन्य को बहिष्कार करनें हेतु उत्साहित करना अथवा परीक्षा के सफल संचालन में बाधा उत्पन्न करने वाले परीक्षार्थियों के विरूद्ध महाविद्यालय द्वारा कड़ी कार्यवाही की जायेंगी। बहिष्कार वाले प्रश्न की पुन: परीक्षा किसी भी दशा में नही करायी जायेगी।

उत्तर पुस्तिका के प्रयोग हेतु निर्देश -

1. परीक्षार्थी को परीक्षा हाल में केवल एक उत्तर पुस्तिका दी जायेगी। परीक्षार्थी को उत्तर केवल रूलदार पृष्ठों पर स्पष्ट तथा सुवाक्यों में सारगर्भित शैली में लिखना चाहिये।
2. उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर परीक्षार्थी को अपना नाम, अनुक्रमांक, नामांकन संख्या, विषय तथा प्रश्नपत्र आदि की पूर्ति प्रत्येक उत्तर पुस्तिका पर सतर्कता पूर्वक निर्धारीत स्थान पर करना आवश्यक है। आवरण पृष्ठ के अलावा किसी भी स्थान पर अनुक्रमांक लिखना वर्जित है तथा इसे अनुचित साधन प्रयोग मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।
3. उत्तर पुस्तिका के अन्दर, बाहर अथवा किसी स्थान पर परीक्षार्थी अपना नाम अथवा कोई चिन्ह न बनाए इस कार्य की गणना अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत मानते हुए अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
4. प्रश्नपत्र पर अंकित क्रम संख्या ही उत्तर के लिए प्रयोग की जाए। जब एक प्रश्न का उत्तर समाप्त हो जायें तब दूसरें प्रश्न का उत्तर उसी पृष्ठ से प्रारम्भ न करें अगले पृष्ठ से प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उत्तर पुस्तिका के दोनों तरफ प्रश्नोत्तर लिखना अनिवार्य है, रफ, गुणा, भाग आदि किया जा सकता है। परन्तु इसे अभ्यर्थी काट (X) दें। इसका मूल्यांकन परीक्षक नहीं करेंगे। दो प्रश्नोत्तर के मध्य कोई पृष्ठ कोरा न छोड़ें। यदि कोई पृष्ठ छोड़कर लिख गये हों तो इसकी ज्यादा सम्भावना है कि परीक्षक मूल्यांकन न करें। ऐसे प्रकरण पर नियमानुसार कोई कार्यवाही नही होगी।
6. परीक्षा कक्ष में पुस्तक, नोट्स, सादा कागज तथा किसी भी इलैक्ट्रानिक उपकरण मोबाइल, कैलकुलेटर एवं ब्लूटूथ डिवाइस आदि ले जाना सख्त मना है, यदि तलाशी के समय अवैध सामग्री पायी गयी तो विश्वविद्यालय नियमावली के अनुसार परीक्षार्थी को दण्डित किया जायेगा। जटिल गणितीय गणना वाले प्रश्न पत्रों में विश्वविद्यालय द्वारा साइंटिफिक कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमन्य किया जा सकता है।
7. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष में दूसरे परीक्षार्थी से बातचीत करना, गलत व्यवहार करना, सिगरेट पीना, अस्त्र-शस्त्र रखना, नकल करना अथवा कराने आदि की प्रक्रिया अनुचित साधन प्रयोग मानी जायेगी और विश्वविद्यालय नियमावली के अनुसार दण्डित किया जायेगा।
8. उत्तर पुस्तिका का कोई पृष्ठ परीक्षार्थी द्वारा अलग किया जाना अथवा फाड़ना वर्जित है। कटे (X) हुए उत्तरों का मूल्यांकन परीक्षक नही करेंगे।
9. परीक्षार्थी कक्ष परिप्रेक्षक को उत्तर पुस्तिका देने के उपरान्त ही परीक्षा कक्ष छोड़ेगा।
10. परिप्रेक्षक, सहायक केन्द्राध्यक्ष, केन्द्राध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को परीक्षार्थी की तलाशी लेने का अधिकार है इस क्रिया में बाधा उत्पन्न करने पर परीक्षार्थी को दण्डित किया जायेगा।
11. परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के प्रत्येक निर्देश का पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है।
12. प्रश्नपत्र वितरित हो जाने पर परीक्षा का बहिष्कार करना अथवा अन्य को बहिष्कार करनें हेतु उत्साहित करना अथवा परीक्षा के सफल संचालन में बाधा उत्पन्न करने वाले परीक्षार्थियों के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा कड़ी कार्यवाही की जायेंगी। बहिष्कार वाले प्रश्न की पुन: परीक्षा किसी भी दशा में नही करायी जायेगी।
13. परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर प्रश्न पत्र में जिस क्रम में प्रश्न पूछे गये है, उसी क्रम में उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखेंगे। यदि किसी प्रश्न में उपप्रश्न (Sub Question) पूछे गये है तो उनका भी प्रश्न पत्र के क्रम के अनुसार दिया जायें, जिससे कि मूल्यांकन कार्य में असुविधा न हों।
14. परीक्षार्थी परीक्षा शुरुआत होने से पहले सुनिश्चित कर ले की उत्तरपुस्तिका में 24 पृष्ठ है |
15. परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cssea.in पर उपलब्ध परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार ही परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे|

Controller of Examinations